अंत्योदया–सरल

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
बौना भत्ता (योजना)

पात्रताः

1. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. वह हरियाणा राज्य का अधिवासी है एंव आवेदन प्रस्तुत करने के तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।

अपवाद

सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभः

1. रू0 2500/– प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

आवश्यक दस्तावेजः

1 सिविल सर्जन द्वारा जारी बौना से सम्बन्धित प्रमाण –पत्र।

1. आयु के सम्बन्ध मेंः (निम्नलिखित में से कोई एक):
   - जन्म प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एंव मृत्यु द्वारा जारी)।
   - विद्यालय प्रमाण–पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड/अन्य सरकारी/प्राईवेट संस्थान द्वारा जारी)
   - वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नही है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके।

2. निवास के सम्बन्ध मेंः (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
   - राशन कार्ड। (खादय एंव पूर्ती विभाग, हरियाणा)
   - मतदाता पहचान–पत्र। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह शपथ पत्र देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।

3 पुरूष की लम्बाई 3 फुट 8 ईंच या उससे कम हो तथा महिला की लम्बाई 3 फुट 3 ईंच या उससे कम हो। (70 प्रतिशत निःशक्तता के बराबर)

4 बौना होने के सम्बन्ध में सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण –पत्र।

5 अन्य दस्तावेज
   - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
   - आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित।
   - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

नोटः– 60 वर्ष की आयु के पश्चात बौना भत्ता वृद्वावस्था सम्मान भत्ता में तबदील हो जायेगी।

सेवा के लिए फीसेंः

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमाः 60 दिन।